



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर मारपीट कर ,गंभीर चोट पहुंचाने वाले एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 308/2008 धारा- 147,148,452,323,325,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शिवशेर सिंह 2.करन सिंह पुत्र ज्ञानसिंह 3.महेश सिंह पुत्र नत्थू सिंह 4.छुट्टू सिंह पुत्र जाहर सिंह समस्त नि0गण ग्राम कण्डौर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹1,00,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी
जोगेन्द्र लाल



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार